न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 62 / 2023

1. नंदलाल पिता कालू जी धाकड निवासी ठुकराई त0 बेगूं
2. रूपलाल पिता नाराण धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूं
3. लीलाशंकर पिता मोहनलाल धाकड निवासी ठुकराई तह0 बेगूं
4. कोमल पुत्री मोहनलाल धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूं
5. पार्वती पुत्री मोहनलाल धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूं
6. मांगीबाई पत्नी मोहनलाल धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूं ....प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
2. दौली पिता मांगीलाल धाकड निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ ....विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक :— 16.12.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम ठुकराई प0ह0 ठुकराई तहसील बेगूँ में स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार से है:—

आराजी खसरा संख्या	रकबा हैक्टर
1141 मी0 (प्रार्थी क्रमांक 3 से 6)	0.9480 हैक्टर
1149 (प्रार्थी क्रमांक 2)	1.4000 हैक्टर
1145 (प्रार्थी क्रमांक 1)	0.9790 हैक्टर

यह कि ग्राम ठुकराई पटवार हल्का ठुकराइ तहसील बेगूं में आराजी संख्या 2413 / 1114 किस्म सडक से आवेदकगण की आराजी संख्या 1141, 1145 एवं 1149 में आने जाने का व कृषि औजार लाने ले जाने का रास्ता विपक्षी रामचन्द्र, दौलीबाई की आराजी संख्या 1114 मी0 की उत्तरी सीमा पर होकर हैं व इसी मेड पर होकर आते जाते थे । आराजी संख्या 1114 मी0 की उत्तरी सीमा के बाद 2641 / 1141 जो मौके पर रास्ता है से होकर तीनो आवेदकगण अपनी अपनी भूमि में प्रवेश होते है । यह रास्ता कही संकडा कही चौडा है ।

यह कि आवेदक की आराजियात पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने का इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, जिससे आराजी संख्या 1114 मी0 की उत्तरी सीमा पर होकर 12 फिट चौडे स्थाई रास्ते की आवश्यकता है जो नियमानुसार दिलाया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं । विपक्षी आये दिन इस मार्ग को बंद करने, सकडा करने या नहीं निकलने देने की धमकिया देता है जिसके स्थाई समाधान हेतु इस आराजी संख्या 1114 मी. में के मार्ग को राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार रास्ता दर्ज कराये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है ।

यह कि प्रार्थीगण नया रास्ता निकालना चाहते है जिससे प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251—क की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर रहे है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमावे प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है । साक्ष्य में शपथपत्र प्रस्तुत है ।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये तथा प्रकरण में रास्ता सम्बन्धी मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा गया। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र कमांक 988 दिनांक 05.11.2025 के साथ संलग्न पर्चामौका रिपोर्ट एवं भू0अ0नि0 वृत ठुकराई की रिपोर्ट तथा मार्ग में आने वाली भूमि की डी एल सी दर से रिपोर्ट टी.आर.ए. के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया कि ग्राम ठुकराई की आराजी संख्या 1114 रकबा 0.3160 हैक्टर भूमि खातेदार श्री रामचन्द्र पिता मांगीलाल 1/2 दोलीबाई पुत्री मांगीलाल 1/2 धाकड सा0ठुकराई के नाम दर्ज रिकोर्ड होकर बडोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई के रहन दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर कृषि हेतु आवश्यक है। वर्तमान मे मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

रास्ते हेतु आराजी संख्या 1114 रकबा 0.3160 हैक्टर मे से रकबा 0.041 हैक्टर भूमि दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। आराजी संख्या 2641/1141 रकबा 0.063 हैक्टर भूमि भी मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है जो खातेदार श्री शांतिलाल पिता भुवाना धाकड सा. ठुकराई के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई के रहन है एवं आराजी संख्या 2641/1141 रकबा 0.0630 हैक्टर भी रास्ता दर्ज होने पर प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचा जा सकेगा जो नजरी नक्शा से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ते के संबंध में मुआवजा राशि की गणना तहसील राजस्व लेखाकार से करवाई जाकर संलग्न है।

यह कि भूमि के मूल्य के अलावा अप्रार्थी को 105 मीटर की खेत पर बाड बनाने का खर्चा अप्रार्थीगण का होगा। इसके अलावा कोई क्षति नहीं होगी। आराजी संख्या 2641/1141 रकबा 0.0630 हैक्टर मे सिर्फ भूमि का मूल्य का आंकलन के अलावा अन्य कोई क्षति नहीं है। प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत ठुकराई व पर्चामौका रिपोर्ट ,नजरीनक्शा, एवं रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी अअनुसार प्रभावित मुआवजा राशि की रिपोर्ट जो कि तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा संलग्न की गई है का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत ठुकराई अनुसार ग्राम ठुकराई प0ह0 ठुकराई की आराजी संख्या 1114 मे से 410 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 2641/1141 मे से 630 वर्गमीटर कुल 1040 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

प्रभावित भूमि का मूल्य डी एल सी – 10776000/– है अथवा 355.2 रूपये प्रति वर्गमीटर डीएलसी का दुगुना– 1776000गुणा 2 यानि 3552000/– है अथवा 355.2 रूपये प्रति वर्गमीटर अ– वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 1114 के प्रभावित भूमिधारको को देय राशि निम्नानुसार है:–

कुल देय राशि – 1114गुणा 355.2– 145632/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	1114	दोलीबाई पुत्री मांगीलाल धाकड	1/2	72816/–
2–	1114	रामचंद्र पुत्र मांगीलाल धाकड	1/2	72816/–

ब– वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी संख्या 2641/1141 के भुमिधारको कोदेय राशि

कुल देय राशि – 630गुणा 355.2 यानि 223776/–

क.सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1–	2641/1141	शांतिलाल दत्तक पुत्र भवाना धाकड	सम्पूर्ण	223776/–

पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट पर एवं प्रार्थना पत्र 251–(क) आर.टी.एक्ट पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए तथा प्राप्त रिपोर्ट को सही बताते हुए रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की बाजार दर से मुआवजा राशि का नियमानुसार भुगतान किये जाने की सहमति जाहिर की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुने जाने एवं पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं रास्ता सम्बन्धी रिपोर्ट का अवलोकन से पाया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुँच के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एक मात्र विकल्प है, जिसकी मुआवजा राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है साथ ही विपक्षीगण ने बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित आकर अपना कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि मौजा ठुकराई प.ह. ठुकराई की कृषि आराजी संख्या 2641/1141, 1141मी.,1484,1485 कीता–4 कुल रकबा 1.7340 हैक्टर भूमि पर पहुचने के लिए रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि विपक्षी दोलीबाई पुत्री मांगीलाल धाकड एवं रामचंद्र पुत्र मांगीलाल धाकड की कृषि भूमि मौजा ठुकराई की आराजी संख्या 1114 मे से 410वर्गमीटर भूमि की मुआवजा राशि कुल 145632/– एवं विपक्षी शांतिलाल दत्तक पुत्र भवाना धाकड की के खाते की कृषि भूमि आराजी संख्या 2641/1141 मे से 630 वर्गमीटर भूमि के लिए राशि 223776/– प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय में विपक्षीगण को दिये जाने हेतु मुआवजे के रूप में जमा कराने पर ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुँच के लिए मौजा ठुकराई की आराजी संख्या 1114 मे से 410वर्गमीटर भूमि में 12 फिट चौडा रास्ता एवं मौजा ठुकराई की आराजी संख्या 1114 मे से 0.0630 वर्गमीटर भूमि मे 12 फिट चौडा रास्ता आने जाने हेतु सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रिकोर्ड में एवं नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

बेगूँ
क्रमांक/सरिश्ता/2025/971 दिनांक :– 29/12/25

प्रार्थना पत्र संख्या 62/2023 व अनवान नन्दलाल बनाम रामचन्द्र प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 ए आर टी एक्ट में न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ